

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 64/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. कैलाश मण्डोवरा पुत्र रामनिवास मण्डोवरा मैसर्स
चारभुजा ट्रेडिंग कम्पनी शॉप नं. 08, लक्ष्मीनारायण
मन्दिर के सामने, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

— विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)
एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित



आदेश

दिनांक 03.12.2024

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प 5(1) चिस्वा. /गुप-3/2022 दिनांक 09.03.2023 एवं क्रमांक प 5(1) चिस्वा. /गुप-3/2023 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि कैलाश मण्डोवरा पुत्र रामनिवास मण्डोवरा मैसर्स चारभुजा ट्रेडिंग कम्पनी शॉप नं. 08, लक्ष्मीनारायण मन्दिर के सामने, भीलवाड़ा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को अन्य सामग्री के साथ गाय का घी (ब्राण्ड केसव) इत्यादि का विक्रय कर रहा था। कैलाश मण्डोवरा पुत्र रामनिवास मण्डोवरा मैसर्स चारभुजा ट्रेडिंग कम्पनी शॉप नं. 08, लक्ष्मीनारायण मन्दिर के सामने, भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया कि खाद्य कारोबारकर्ता की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य सामग्री के साथ गाय का घी (ब्राण्ड केसव) 452 ग्राम के 30 पैकेट रखे हुये थे। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार गाय का घी (ब्राण्ड केसव) नमूना लेकर वास्ते जांच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जांच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

का घी (ब्राण्ड केसव) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष 03.12.2024 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना गाय का घी (ब्राण्ड केसव) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने गाय का घी (ब्राण्ड केसव) में Iodine value 48.32 पायी गयी जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 25 से 38 के मध्य होना चाहिये। इसी प्रकार Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty Acid profile of ghee पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह Foreign Fat Absent होना चाहिए था। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया विपक्षी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता हैं विपक्षी ने जानबूझकर कोई गलती नही की हैं। मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं हैं। विपक्षी की गलती को माफ किया जाये। निवेदन हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/922/एक्ट/2024/1019 दिनांक 06.09.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना गाय का घी (ब्राण्ड केसव) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।



कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने गाय का घी (ब्राण्ड केसव) में **Iodine value 48.32** पायी गयी जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 25 से 38 के मध्य होना चाहिये। इसी प्रकार **Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the Fatty Acid profile of ghee)** पाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत यह **Foreign Fat Absent** होना चाहिए था। इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण सबस्टैण्डर्ड गाय का घी (ब्राण्ड केसव) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा सबस्टैण्डर्ड गाय का घी (ब्राण्ड केसव) का विक्रय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 40,000/-रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उक्त शास्ति राशि जरिये चालान निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जमा करा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
आति 0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख है कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 श्री कैलाश मण्डोवरा पुत्र रामनिवास मण्डोवरा मैसर्स चारभुजा ट्रेडिंग कम्पनी शॉप नं. 08, लक्ष्मीनारायण मन्दिर के सामने, भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
आति 0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)